




तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
फर्द अहकाम
हुकम की तारीख
जारी हुआ

कार्यालय प्रिन्सिपल. ६०१ / क. २६ से २७/२०११
 एन. एन. ३९१ अन्तर्गत एन. एन. ३९१ अन्तर्गत
 क. २६, एन. ३९१ (२) और ए. ३९१
 ३५५ ५९१ २५०० २ ५९१ ५९१
 एन. एन. ३९१ / एन. एन. ३९१ अन्तर्गत
 ए. ३९१ एन. ३९१ ए


 जज
 लोक अदालत भादरा

लोक अदालत
भादरा

लोक अदालत
भादरा

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 80/18

अनवान : 1. केहरसिंह पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. रूघाराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा।
2. लिछमण पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा।
3. अनकोरी पुत्री रूघाराम पत्नी धर्मवीर जाति बैनीवाल निवासी चूलीकलां तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. सरस्वती पुत्री रूघाराम पत्नी प्रताप जाति जाट सहारण निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरु।
5. दलीप पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरु।
6. ईश्वर पुत्र दर्शना पत्नी दलीप पुत्री रूघाराम जाति जाट।
7. सन्तोष पुत्री दर्शना पत्नी दलीप पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरु।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955।**

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 चिडियागांधी में वकीलवादी श्री बंशीधर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 एसडीआर के खाता सं० 82/76,77 के मु० न. 45 के किला न. 21 मु० न० 46 के किला न. 21 ता 25, मु० न० 51 के किला न. 1 ता 9, 12 ता 15 मु० न० 52 के किला न. 1, 2, 6, 9 ता 13, 15 ता 24 मु० न० 53 के किला न. 4 ता 7, 13 ता 15 मु० न० 54 के किला न. 1, 10 कुल 11.638 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता प्रतिवादी रूघाराम का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा शेष भूमि रूघाराम के नाम यथावत रखे। प्रतिवादी सं. 3 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी, A.S.S.,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)